लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल – 462021

दूरभाष 2583650 फैक्स 2583651 ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

क्र. /एजूकेशन पोर्टल/2009/ 8296 भोपाल, दि.: 25.11.09

महत्वपूर्ण सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रति,

1. **जिला शिक्षा अधिकारी**
   समस्त जिले (म.प्र.)

2. **जिला परि. समन्वयक,**
   समस्त जिले (म.प्र.)

विषय : नियत कार्यस्थल पर शिक्षकों से अध्यापन सुनिश्चित करने बाबत।

स्कूल शिक्षा एवम् आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय संस्थाओ के अकादमिक प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रबंधन के उद्‌देश्य से ऑनलाईन एजूकेशन पोर्टल संचालित है। पोर्टल में उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि एजूकेशन पोर्टल में शालावार प्रविष्ट शिक्षक तथा दक्षता संवर्धन में शालावार, कक्षावार अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की जानकारी में बहुत अंतर है। कुछ जिलों में तो यह अंतर 50 प्रतिशत तक आ रहा है। अनेक जिलों में शिक्षकों के पदनाम तथा पदस्थी शाला का सही डाइस कोड प्रविष्ट नहीं कराया गया है, जिससे भी दक्षता/मासिक परीक्षा की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण हो रही है तथा शालावार शिक्षकों की संख्या वास्तविक संख्या से काफी भिन्न आ रही है। यह स्थिति बेहद आपत्तिजनक एवं कदाचित स्वीकार योग्य नहीं है।

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम के तहत बिना शासन के विशिष्ट आदेश के किसी भी शिक्षक से गैर शिक्षकीय कार्य कराने पर रोक है। शिक्षक की गुणवत्ता के लिए शिक्षक की उपस्थिति एवं उसका उत्तरदायी होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः यह सुनिश्चित होना नितांत जरूरी है कि समस्त शिक्षक नियत शाला में शिक्षण कार्य करें। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए:–

- सितंबर तथा अक्टूबर की दक्षता संवर्धन की प्रगति सभी शालाओं के संबंध में दर्ज करा ली जाये। साथ ही कक्षा 1 में दर्ज बच्चों की संख्या एवं अक्टूबर माह में मासिक परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की संख्या एवं उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक की जानकारी भी अक्टूबर माह में दर्ज करा दी जाए।
- अब ABL शालाओं में भी दक्षता संवर्धन कार्यक्रम की नियत मासिक परीक्षा ली जानी है, अतः उस परीक्षा में उपलब्धि की जानकारी भी पोर्टल पर अक्टूबर माह में ही दर्ज करा दी जाए। यह अवश्य नोट किया जाये कि ABL शालाओं में पढ़ाने की प्रकिया दक्षता संवर्धन की प्रकिया अनुरूप नहीं रहेगी अपितु मात्र मासिक परीक्षा दक्षता संवर्धन कार्यक्रम अनुरुप रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही करने से यह सुनिश्चित होगा कि कक्षा 1 में अध्यापन करने वाले शिक्षक एवं ABL शालाओं में अध्यापन करा रहे शिक्षकों के नाम शिक्षकीय कार्य में जुटे शिक्षकों की सूची में ही आयें।

- एजुकेशनल पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध DDOs कार्नर से पेमेंट ऑथारिटीवार शिक्षक कर्मचारियों की यूनिक आई.डी. पद तथा पदस्थी संस्था की सूची जिले के प्रोग्रामर/एम.आईएस प्रभारी से निकलवाकर समस्त डी.डी.ओ को आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित की जाना — दिनांक 30.11.2009 तक

- डी.डी.ओ.द्वारा सूची का परीक्षण कर सूची में शिक्षकवार जानकारी में आवश्यक संशोधन उपरांत सूची जिला शिक्षा अधिकारी को बैठक में देना — दिनांक 3.12.2009 तक
- सभी डी.डी.ओ. की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के द्वारा लेना । —— दिनांक 3.12.2009 तक
- डी.डी.ओ. द्वारा किए गए सूची में प्रस्तावित संशोधन को जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा अपने पासवर्ड से पोर्टल में प्रोग्रामर/एमआईएस प्रभारी के सहयोग से संशोधित कराना – 5.12.2009 तक
- वीडियो कॉफ्रेसिंग में आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र तथा आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के साथ उक्त जानकारी के आधार पर समीक्षा करना – 8.12.2009 को दोपहर 3 बजे।

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 198/2009/20–1, भोपाल, दि.: 15.9.09 के अनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये गये है कि :–

- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षको का पंजीकरण एज्यूकेशन पोर्टल पर करते हुए शिक्षक को यूनिक आईडी आवंटित किया जावे।
- यूनिक आईडी आवंटन के उपरान्त ई–सेवा पुस्तिका की जानकारी की प्रविष्टि की जावे।
- नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षक को एक दिवसीय सामान्य प्रशिक्षण देने के उपरांत संबंधित शाला में संबंधित संकुल प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करावें।

कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जो शिक्षक शिक्षकीय कार्य नहीं कर रहे हैं उसकी संख्या शून्य हो जाए तथा दिसम्बर माह की परीक्षा की प्रगति की प्रविष्टि उपरांत वेब पोर्टल पर भी यह जानकारी जनवरी में शून्य दिखे। शिक्षक की शाला में उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने से ही शिक्षण की गुणवत्ता में ठोस सुधार परिलक्षित होगा। अतः इस कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दें एवं प्रतिवेदन 07 दिसम्बर तक संलग्न प्रारूप में दें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर उसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जाएगा।

(मनोज झालानी)
सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त,
लोक शिक्षण

पृ.क्र. / एजूकेशन पोर्टल / 2009 / 8297

भोपाल, दि. 25.11.09

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री / राज्य मंत्री, भोपाल, म.प्र.
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग म.प्र. भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल
4. राज्य सूचना एंव विज्ञान अधिकारी NIC भोपाल
5. कलेक्टर समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC की ओर आवश्यक सहयोग करने हेतु।
8. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय लोक शिक्षण समस्त।
9. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिलें की ओर है कि कार्यशाला संबधी समस्त व्यवस्थायें कार्यशाला दिवस मे करना सुनिश्चित करे।
10. प्रोग्रामर / एम.आई.एस. प्रभारी जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिलें की ओर पालनार्थ ।
11. जिला प्रभारी अधिकारी राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ ।
12. सर्व शिक्षा अभियान www.ssa.mp.gov.in\Circulars.htm, एजूकेशन पोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in एवं http://sednmp.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज झालानी)
सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त,
लोक शिक्षण

प्रारूप

जिला	जिले में कुल डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जिन्होंने जानकारी का पूर्ण रूप से		प्रमाणीकरण न करने का कारण		समस्त कार्रवाई उपरांत कक्षाओं में अध्यापन नहीं करने वाले शिक्षकों का विवरण	
		सुधार कर प्रमाणीकरण कर दिया है।	सुधार नहीं किया है।	डीडीओ का नाम	कारण	शिक्षकों की संख्या	कारण

हस्ताक्षर एवं पदनाम
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ——————